रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2003/ज्येष्ठ 19, 1925
No. 265] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2003/JYAISTHA 19, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2003

सा.का.नि. 462(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,-

(1) नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (क) में,-

(i) उपखंड (iii) में, "और निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(iiiक) ज्येष्ठ कमांडेंट, सहायक महानिरीक्षक";

(iii) उपखंड (iv) में, "सहायक निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उपखंड (v) में, "और संयुक्त सहायक निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) उपखंड (vi) में, "तथा उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) उपखंड (ix) में, "कार्यपालक" शब्द के पश्चात् "आशुलिपिक" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(vii) उपखंड (x) में, "कार्यपालक" शब्द के पश्चात् "अनुसचिवीय" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(2) मूल नियमों के नियम 8 में,—

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) जब उप महानिरीक्षक को यूनिट का प्रमुख बनाया जाता है तो वह नियम 10 में परिगणित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सभी गतिविधियों की रिपोर्ट महानिरीक्षक को करेगा।"

(3) मूल नियमों के नियम 9 में, "कमांडेंट" शब्द के स्थान पर "यूनिट कमांडर" शब्द रखे जाएंगे।

(4) मूल नियमों के नियम 10 के उपनियम (2) में, "भर्ती किए गए" शब्दों का लोप किया जाएगा; और "मंगलवार" शब्द के स्थान पर "सोमवार" शब्द रखा जाएगा।

(5) मूल नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, आर्थात् :—

"**सहायक कमांडेंट के कर्तव्य**—सहायक कमांडेंट, कमांडेंट को सहायता करेगा और जब तक इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्टतया इसके प्रतिकूल निर्देशित न किया जाए, वह कमांडेंट के कृत्यों का, जब कमांडेंट द्वारा ऐसा अपेक्षित हो पालन करेगा। वह अपने अधीन कार्मिकों की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उपक्रम की सुरक्षा और उसे सौंपे गए किन्हीं अन्य कर्तव्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा। वह उप कमांडेंट को, जहाँ उप कमांडेंट यूनिट का प्रमुख है, सहयोग करेगा।"

(6) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(7) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(8) मूल नियमों के नियम 25 में, उपनियम (2) में, "उसे सेवोन्मुक्त" शब्दों के पश्चात् "या सेवा को समाप्त" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(9) मूल नियमों के नियम 26 में,—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) जहां नियुक्ति प्राधिकारी ने किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त किया है, वहां महानिरीक्षक स्वप्रेरणा से या अन्यथा मामले को पुन: खोल सकेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे (i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा ; (ii) सूचना को वापस ले सकेगा; (iii) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में पुन:स्थापित कर सकेगा; या (iv) मामले में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु विशेष परिस्थितियों के सिवाय, जिन्हें लेखबद्ध किया जाना चाहिए,

(क) उस दशा में जहां सूचना दी है सूचना की तारीख से;

(ख) जहां कोई सूचना नहीं दी जाती है उस दशा में सेवा की समाप्ति की तारीख से;

कोई मामला तीन मास की समाप्ति के पश्चात् इस उपनियम के अधीन पुन: नहीं खोला जाएगा।

(ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यथास्थिति, परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी बल के किसी सदस्य की, बल में उस सदस्य की नियुक्ति के समय मिथ्या या गलत सूचना दिए जाने या उसके आधारिक प्रशिक्षण या पुनरावृत्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में असफल रहने के आधारों पर, सेवाओं को, इस प्रभाव की एक मास की सूचना या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, कोई कारण बताए बिना समाप्त कर सकेगा।"

(10) मूल नियमों के नियम 32 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनयिम रखा जाएगा:—

"(2) जब कभी बल सदस्य, उसकी स्थायी तैनाती के स्थान पर से बाहर, किसी कार्य संचालन के लिए या किसी अन्य कर्तव्य के लिए या किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अभिनियोजित किया जाता है तब ऐसा पर्यवेक्षण अधिकारी, जिसके नियंत्रण के अधीन ऐसा सदस्य इस प्रकार अभिनियोजित किया गया है उसे निलंबित करने के लिए सक्षम होगा। ऐसा पर्यवेक्षण अधिकारी मामले को उपनियम (1) में यथा उल्लिखित संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।"

(11) मूल नियमों के नियम 33 में,—

(क) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(12) मूल नियमों के नियम 36 में,—

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) उपनियम (5) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी किसी आरोप की मद की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी की नियुक्ति करता है, तो वह, आदेश द्वारा, आरोप की मदों के समर्थन में उस मामले को अपनी ओर से प्रस्तुत करने के लिए बल के किसी ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकेगा जिसे मामले को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाएगा";

(iii) उपनियम (4) में, खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) मामले को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के नियुक्ति आदेश की एक प्रति";

(iv) उपनियम (8) के खण्ड (ख) में, "भर्ती किए गए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10.(क)—जांच प्राधिकारी आरोप की उन मदों से सम्बन्धित दोष के निष्कर्ष को लौटा देगा जिसके सम्बन्ध में भर्ती किया गया बल सदस्य दोषी होने का अभिवचन करता है;

(ख) जांच अधिकारी, यदि भर्ती किया गया बल सदस्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवचन से इंकार करता है या उसका लोप करता है, प्रस्तुत करने वाले अधिकारी से ऐसा साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा करेगा जिसके द्वारा वह आरोप की मदों को साबित करने का प्रस्ताव करता है और मामले को किसी अगली तारीख तक, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, ऐसे आदेश के अभिलेखन के बाद स्थगित कर सकेगा कि भर्ती किया गया बल सदस्य, अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के प्रयोजन के लिए—

(i) उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का, आदेश होने के पांच दिन के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो पांच दिन से अधिक नहीं होगा जैसा जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) उसकी ओर से परीक्षा किए जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा;

(iii) किन्ही दस्तावेजों के अन्वेषण या प्रस्तुतिकरण, जो सरकार के कब्जे में हैं, परन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं हैं, के लिए, आदेश होने के दस दिनों के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो दस दिन से अधिक नहीं है, जैसा जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, कोई सूचना दे सकेगा";

(vi) उपनियम (11) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जांच प्राधिकारी, उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों से, ऐसे दस्तावेजों की, जो उसकी राय में से सुसंगत नहीं है, अध्यपेक्षा से इन्कार कर सकेगा;

(vii) उपनियम (13) और (14) का लोप किया जाएगा;

(viii) उपनियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(15) जांच के लिए नियत तारीख को, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके द्वारा आरोप की मदों को साबित किया जाना प्रस्थापित है। मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रति-परीक्षा भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा या उसकी ओर से की जा सकेगी। मामला प्रस्तुत करने वाला अधिकारी, साक्षियों की, ऐसे किन्हीं विषयों पर, जिन पर उनकी प्रति-परीक्षा की गई है, पुन:परीक्षा करने का हकदार होगा, किन्तु जांच प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी नए विषय पर प्रति-परीक्षा नहीं करेगा। जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझता है";

(ix) उपनियम (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(16) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले को बन्द करने से पूर्व, जांच प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत होता है तो वह अपने विवेकाधिकार से मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो भर्ती किए गए बल-सदस्य को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं या स्वयं नए साक्ष्यों की मांग कर सकेगा या किसी साक्षी को पुन: बुला सकेगा और उसकी पुन: परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में भर्ती किया गया बल-सदस्य, यदि वह इसकी मांग करता है तो प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्थापित अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की एक प्रति के लिए हकदार होगा और ऐसे नए साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्व जांच को तीन कार्य दिवसों के लिए, जिसमें स्थगन की तारीख और वह तारीख सम्मिलित नहीं होगी, जिस तक जांच स्थगित की गई है, स्थगित कराने का हकदार होगा। जांच प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को, ऐसे दस्तावेजों की, उन्हें अभिलेख पर रखे जाने से पूर्व, निरीक्षण करने का एक अवसर देगा। जांच प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को भी तब नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा, तब उसकी राय में न्याय के हित में ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

टिप्पण: साक्ष्य में किसी कमी को पूरा करने के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करने या उनकी मांग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और न ही किसी साक्षी को पुन: बुलाया जाएगा। ऐसे साक्ष्य की केवल तभी मांग की जा सकेगी जब मूल रूप से प्रस्तुत किसी साक्ष्य में अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो";

(x) उपनियम (17) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(17) जब अनुशासनिक प्राधिकारी का मामला समाप्त कर दिया जाता है, तब भर्ती किए गए बल-सदस्य से अपनी प्रतिरक्षा, मौखिक या लिखित रूप में, जिसे भी वह अधिमान दे, का कथन करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि प्रतिरक्षा मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाती है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। प्रत्येक मामले में, प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति, मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।"

(xi) उपनियम (18) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(18) (क) उसके पश्चात् भर्ती किए गए बल सदस्य की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। भर्ती किया गया बल का सदस्य, यदि वह इसे अभिमानता देता है तो अपनी ओर से स्वयं परीक्षा कर सकेगा। उसके पश्चात् भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और वे अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों को लागू उपबन्धों के अनुसार जांच प्राधिकारी द्वारा प्रति-परीक्षा, पुन:परीक्षा और परीक्षा के लिए दायी होंगे।

(ख) जांच प्राधिकारी, भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा अपना मामला समाप्त करने के पश्चात्, यदि भर्ती किए गए बल-सदस्य ने अपनी परीक्षा नहीं की है तो भर्ती किए गए बल-सदस्य को साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत हो रही किन्हीं परिस्थितियों के सम्बन्ध में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकेगा या करेगा।

(ग) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत करने वाले अधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, भर्ती किए गए बल-सदस्य को सुन सकेगा या उनको अपने-अपने मामलों का लिखित संक्षिप्त विवरण फाइल करने की, यदि वे ऐसा चाहे, अनुमति दे सकेगा।

(घ) जब कभी कोई जांच अधिकारी, सुनवाई और किसी जांच मामलों में इसके सम्पूर्ण साक्ष्य या किसी भाग को अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता के प्रयोग को बन्द करता है और दूसरा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी, जिसको अधिकारिता प्राप्त है और उसका प्रयोग करता है, तब ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी, उसके पूर्वाधिकारी द्वारा इस प्रकार अभिलिखित या भागत: अभिलिखित और उसके स्वयं के द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा :

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच अधिकारी की यह राय है कि न्याय के हित में, साक्षियों में से किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले से ही अभिलिखित किया जा चुका है, और परीक्षा आवश्यक है तो वह ऐसे किसी साक्षियों को, जैसा इसमें इसके पहले उपबन्ध किया गया है, वापस बुला सकेगा, परीक्षा कर सकेगा, प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा कर सकेगा।

(ङ) यदि भर्ती किया गया बल-सदस्य, जिसको आक्षेप की मदों की प्रति परिदत्त की गई है, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है या जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता है या अन्यथा असफल रहता है या इस नियम के उपबन्धों का पालन करने से इन्कार करता है तो जांच अधिकारी एकपक्षीय जांच कर सकेगा";

(xii) उपनियम (19) के खण्ड (ii) में, उपखण्ड (घ) में, "भर्ती किए गए सदस्य" शब्दों के पश्चात् "या प्रस्तुत करने वाला अधिकारी" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(xiii) उपनियम (21) में, खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(iii) अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच, यदि कोई हो, की रिपोर्ट की एक प्रति या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति असहमति, यदि कोई हो, के कारणों सहित, और किसी आरोप की मद पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को अभिलिखित कर भर्ती किए गए बल-सदस्य को अग्रेषित करेगा या अग्रेषित कराएगा जिसे उसका लिखित अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता है, प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या पन्द्रह दिनों के भीतर इस बात का ध्यान किए बिना कि रिपोर्ट भर्ती किए गए बल-सदस्य के पक्ष में है या नहीं, अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुशासनिक प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा, नियम 36 के उपनियम (22) में यथाउपबन्धित रीति में अगली कार्यवाही से पहले, प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।"

(13) मूल नियमों के नियम 41 में,—

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(14) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(15) मूल नियमों के नियम 48 में, उपनियम (2) में, "जिसको अपील की जाती है जिसमें" शब्दों के स्थान पर "जिसको अपील की जाती है और इसमें" शब्द रखे जाएंगे।

(16) मूल नियमों के नियम 52 में,—

(i) उपनियम (1) में "नियम 31" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 33" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (2) में, खण्ड (ग) में, उपखण्ड (ii) के परन्तुक से पहले निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) किसी अन्य मामले में किसी वर्धित शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि अपीलार्थी को, यथाशक्य नियम 37 के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने के लिए, कोई युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।"

(17) मूल नियमों के नियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

"54. पुनरीक्षण (1) आदेश करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर कोई प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेख की मांग कर सकेगा और इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश की पुनरीक्षा कर सकेगा, और—

(क) आदेश की पुष्टि, उसमें उपांतरण या उसे अपास्त कर सकेगा; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा, बढ़ा या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है, वहां कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) आदेश करने वाले प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को यह निदेश करते हुए भेज सकेगा कि ऐसा प्राधिकारी ऐसी और जांच करे जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या

(घ) पुनरीक्षित किए जाने के लिए प्रस्थापित आदेश को संसूचित किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे :

परन्तु कोई पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी शास्ति को अधिरोपित करने या उसे बढ़ाने वाला आदेश तब तक नहीं करेगा, जब तक सम्बन्धित भर्ती किए गए बल सदस्य को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो और जहां नियम 34 के खंड (i) से खंड (v) तक में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने या पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति को उन खंडों में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति द्वारा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और मामले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 के नियम 36 के अधीन जांच, यदि कोई हो, पहले ही नहीं की गई है तो उपर्युक्त नियमों में अधिकथित रीति में जांच करने के पश्चात् ही ऐसी शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2) अपीलों से सम्बन्धित नियम 52 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, पुनरीक्षणाधीन ऐसे आदेशों को लागू होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय में जारी किए गए आदेश और अनुदेश, यथावश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन लागू होते हैं।

(18) मूल नियमों के नियम 63 में, "बल-सदस्य" शब्दों के स्थान पर "भर्ती किए गए बल-सदस्य" शब्द रखे जाएंगे।

(19) मूल नियमों के नियम 65 में—

(i) उपनियम (1) में, "हैड कांस्टेबल" शब्दों के स्थान पर "निरीक्षक" शब्द रखा जाएगा;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(गक) बल-सदस्य के कुटुंब के किसी सदस्य की मृत्यु, गम्भीर बीमारी या विवाह की दशा में, बल-सदस्यों को एक अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय होगी। अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत केवल कर्तव्य के स्थान से गंतव्य तक की यात्रा के लिए ही सीमित होगी।"

(20) मूल नियमों के नियम 72 में,—

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(21) मूल नियमों के नियम 74 के उपनियम (1) में "भर्ती किए गए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(22) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(23) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(24) परिशिष्ट "क" में मद (iv) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात्:—

"(v) मैं यह समझता हूं और इस बात के लिए सहमति देता हूं कि मेरे द्वारा प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर या भर्ती किए जाते समय कोई तात्विक सूचना छिपाए जाने पर, नियुक्ति अधिकारी एक मास की सूचना जारी करके या ऐसी सूचना के स्थान पर एक मास का वेतन देकर मेरी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।"

(25) "परिशिष्ट-घ" में "2000" अंकों के स्थान पर "2001" अंक रखे जाएंगे।

(26) अनुसूची-1 में, स्तंभ 6 के शीर्ष में, "कमांडेंट" शब्द से पूर्व "ज्येष्ठ कमांडेंट/" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

[सं. ई-32012/2/2002/वि.व नि./केऔसुब/पर्स-1 एमएचए]

ए.के. जैन, संयुक्त सचिव (पुलिस)

पाद टिप्पणी :—मूलनियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 825(अ) दिनांक 2-11-2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2003

G.S.R. 462(E).— In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Industrial Security Force Rules, 2001, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Industrial Security Force Rules, 2001 (hereinafter referred to as the principal rules)—

(1) In rule 4, in sub-rule (1), in clause (a)

(i) In sub-clause (iii), the words " and Director, National Industrial Security Academy" shall be omitted;

(ii) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(iii) a Senior Commandant, Assistant Inspector General ";

(iii) in sub-clause (iv) the words, "Assistant Director, National Industrial Security Academy" shall be omitted;

(iv) in sub-clause (v), the words " and Joint Assistant Director, National Industrial Security Academy" shall be omitted;

(v) in sub-clause (vi), the words " and Deputy Assistant Director, National Industrial Security Academy" shall be omitted;

(vi) in sub-clause (ix), after the word " Executive" , the word, "Stenographer", shall be inserted.

(vii) in sub-clause (x), after the word, " Executive", the word, "Ministerial" shall be inserted.

(2) In rule 8 of the Principal rules,—

(i) in sub-rule (2), for the word " normally" the word " Normally" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) When Deputy Inspector General is place as head of the Unit, he shall discharge all duties enumerated in rule 10 and he shall report all developments to Inspector General."

(3) In rule 9 of the principal rules, for the words " The Commandant" the words " The Unit Commander" shall be substituted.

(4) In rule 10 of the Principal rules, in sub-rule (2) the word "enrolled" shall be omitted; and for the word "Tuesday", the word " Monday" shall be substituted.

(5) For rule 12 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"Duties of Assistant Commandant— The Assistant Commandant shall assist the Commandant and unless specifically directed to the contrary in the regulations framed for the purpose he shall perform all the functions of the commandant when so required by the latter. He shall be responsible for the efficiency, discipline and morale of the personnel under him and shall also be responsible for the security of the Undertaking and any other duties entrusted to him. He will assist Deputy Commandant where the Deputy Commandant is the head of the Unit."

(6) In rule 13 of the principal rules, in sub-rule (3) for the word "subject" the word " subjected" shall be substituted.

(7) In rule 14 of the principal rules, for the word "belonging", the word " belongings" shall be substituted.

(8) In rule 25 of principal rules, in sub-rule (2) after the words "discharge him", the words " or terminated the services" shall be inserted.

(9) In rules 26 of the principal rules,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Where the appointing authority has terminated the services of a probationer, the Inspector, General may on his own motion or otherwise, reopen the case and after making such enquiry as he thinks fit may : (i) confirm the action taken by the appointing authority; (ii) withdraw the notice; (iii) reinstate the probationer in service; or (iv) make such other order in the case as he may consider proper : Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, no case shall be reopened under this sub-rule after expiry of three months—

(a) from the date of notice, in a case where notice is given;

(b) from the date of termination of service in a case where no notice is given;

(ii) in sub-rule (2), for the word "spend" the word " spent" shall be substituted;

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) During the period of probation or its extension thereof, as the case may be, the appointing authority may without assigning any reason terminate the services of a member of the Force on the grounds of furnishing false or incorrect information at the time of appointment of that member of the Force or for his failure to pass the basic training or repeat course, by tendering a notice of one month to that effect or one month's pay in lieu thereof."

(10) In rule 32 of the principal rules, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted:—

"(2) Whenever an enrolled member of the Force is deployed for operational duty or any other duty or course of training outside the place of his permanent posting then a supervisory officer under whose control such member has been so deployed shall be competent to place him under suspension. Such supervisory officer shall refer the matter to concerned disciplinary authority as mentioned in sub-rule (1)."

(11) In rule 33 of the principal rules,—

(a) in sub rule (2).-

(i) in clause (a), for the word "fortyeighty", the word "forty eight" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the word " fortyeight", the word " forty eight" and for the word "consequents", the word "consequent" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the word "Force" occurring after the words "continued in" and "remain in", the word "force" shall be substituted;

(c) in sub-rule (4) , for the word "or" occurring after the word "circumstances", the word "of " shall be substituted.

(12) In rule 36 of the principal rules,—

(i) in sub -rule (1), for the word "(Inquiry)", the word " (Inquiries)" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (5), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) Where the Disciplinary Authority itself inquiries into any article of charge or appoints an Inquiring Authority for holding any enquiry into such charge, it may, by an order, appoint a member of the Force to be known as the 'Presenting Officer' to present on its behalf the case in support of the articles of charge";

(iii) in sub-rule (6), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

"(v) a copy of the order appointing the Presenting Officer";

(iv) in sub-rule (8) in clause (b), the word "enrolled" shall be omitted;

(v) for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(10) (a) The Inquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the enrolled member of the Force pleads guilty;

(b) The Inquiring Authority shall, if the enrolled member of the Force fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date, not exceeding thirty days, after recording an order that the enrolled member of the Force may, for the purpose of preparing his defence—

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the Inquiring Authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-rule (3);

(ii) Submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3)";

(vi) in sub-rule (11), the following proviso shall be inserted, namely:—

"provided that the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case";

(vii) sub -rules (13) and (14) shall be omitted;

(viii) for sub-rule (15) , the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(15) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the

enrolled member of the Force. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross examined, but not on any new matter, without the leave of the Inquiring Authority. The Inquiring Authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.";

(ix) for sub-rule (16), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(16) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the Disciplinary Authority, the Inquiring Authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the enrolled member of the Force or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the enrolled member of the Force shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the enquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the enquiry is adjourned. The Inquiring Authority shall give the enrolled member of the Force an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The Inquiring Authority may also allow the enrolled member of the Force to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, if the interests of justice.

Note: New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna of defect in the evidence which has been produced originally.";

(x) for sub-rule (17) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(17) when the case for the Disciplinary Authority is close, the enrolled member of the Force shall be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer. If the defence is made orally it shall be recorded, and the enrolled member of the Force shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any appointed.";

(ix) for sub-rule (18), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(18) (a) The evidence on behalf of the enrolled member of the Force shall then be produced. The enrolled member of the Force may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the enrolled member of the Force shall then be examined and shall be liable to cross-examination, rexamination and examination by the Inquiring Authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.

(b) The Inquiring Authority may, after the enrolled member of the Force closes, his case, and shall, if the enrolled member of the Force has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the enrolled member of the Force to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(c) The Inquiring Authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed and the enrolled member of the Force, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(d) Whenever any Inquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in any inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another Inquiring Authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the Inquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recored by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding Inquiring Authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(e) If the enrolled member of the Force to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit written statement on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the Inquiring Authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the Inquiring Authority may hold the inquiry ex-parte";

(xii) in sub-rule (19), in caluse (ii), in sub-clause (d) after the words "enrolled member", the words "or the Presenting Officer" shall be inserted.

(xiii) in sub-rule (21), after clause (ii), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(iii) The Disciplinary Authorty shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a copy of the report of the Inquiring Authority together with reasons for disagreement, if any, and record its own findings on any article of charge, to the enrolled member of the Force who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the Disciplinary Authority within fifteen days irrespective of whether the report is favourable or not to the enrolled member of the Force.

(iv) The Disciplinary Authority shall consider the representation, if any, submitted by the enrolled member of the Force before proceeding further in the manner as provided in sub-rule (22) of Rule 36."

(13) In rule 41 of the principal rules,—

(i) in sub-rule (1), for the word "herein-after", the word "hereinafter" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (ii), for the word "its", the word "it" shall be substituted.

(14) In rule 45 of the principal rules, in sub-rule (i), for the word "step-in-aid or", the word "step-in-aid of" shall be substituted.

(15) In rule 48 of the principal rules, in sub-rule (2), for the word "lie" the words "lies and it" shall be substituted.

(16) In rule 52 of the principal rules—

(i) in sub-rule (1), for the word and figure "rule 31", the word and figure "rule 33" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (c), before the proviso of sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(iii) No order imposing enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of rule 37, of making a representation against such enhanced penalty.".

(17) For rule 54 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—

54. Revision.—" (1) Any authority superior to the authority making the order may either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, and may—

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such order as it may deem fit, within six months of the date of communication of the order proposed to be revised :

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revisioning authority unless the enrolled member of the Force concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 34 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, and if any, inquiry under rule 36 of Central Industrial Security Force Rules, 2001 has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an enquiry in the manner laid down in the aforesaid rules.

(2) The provisions of rule 52 relating to appeals shall apply so far as may be to such orders in revision.

(3) Orders and instructions issued by the Central Government on this subject from time to time shall be applicable mutatis mutandis as applicable under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965".

(18) In rule 63 of the principal rules, for the words "members of the Force", the words "enrolled members of the Force" shall be substituted.

(19) In rule 65 of the principal rules—

(i) in sub-rule (1), for the words "Head Constable", the word "Inspector" shall be substituted;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ca) An additional leave travel concession is admissible to the member to the Force in the event of death, serious illness or marriage of a member of the family of the member of the Force. The additional leave travel concession is limited only to the onward journey from the place of duty".

(20) In rule 72 of the principal rules—

(i) in sub-rule (1) in clause (iv), for the words "Deputy Inspector General", the words "Inspector General" shall be substituted;

(ii) In clause (v), for the words "Inspector General", the words "Deputy Inspector General" shall be substituted.

(21) In rule 74 of the principal rules, in sub-rule (I), the word "enrolled" shall be omitted.

(22) In rule 74 of the principal rules—

(i) in sub-rule (1), for the word "Disk", the word "Disc" shall be substituted.

(ii) in clause (j), for the words "Gazetted Officer's", the word "Gazetted Officers" shall be substituted.

(23) in rule 76, for the words "Other conditions of service", the following shall be substituted, namely :—

"77. Other conditions of service—".

(24) In, Appendix "A", after item (iv), the following item shall be inserted, namely :—

"(v) I understand and agree that my services can be terminated by the appointing authority on my failure to pass the final examination of initial training course or for suppression of any factual information at the time of enrolment by issuing of notice of one month or the tender of one month's pay in lieu of such notice.".

(25) In, Appendix "D", for the figure "2000", the figure "2001" shall be substituted.

(26) In Schedule I, in the heading of column 6, before the word "Commandant", the words "Sr. Commandant", shall be inserted.

[No. E-32012/2/2002/L&R/CISF/Pers.I(MHA)]

A. K. JAIN, Jt. Secy. (Police)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.